संख्या-41/2016/1077 ई-2/तेरह-2016-34/2013

प्रेषक

विनोद कुमार तिवारी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

जिलाधिकारी
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक 28 जून,2016

विषय:- नन्दा रेस्टोरेन्ट, 333 कटका झूँसी, इलाहाबाद को बार अनुज्ञापन (एफ0एल0-7) स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-3010/जि0आ0अ0/बार समिति बैठक/नन्दा बार/दिनांक इलाहाबाद 23 फरवरी 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 12-02-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-25/दस-लाइसेंस-(50)/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/इला0/2016-17, दिनांक 28 अप्रैल,2016 की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री महेन्द्र प्रताप, नि0-481, बाघम्बरी गद्दी, शिवाजीनगर, अल्लापुर, इलाहाबाद के नाम उनके द्वारा संचालित नन्दा रेस्टोरेन्ट, 333 कटका झूँसी, इलाहाबाद को वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-41/2016/1077(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-25/दस-लाइसेंस-(50)/खण्ड-2/एफ0एल0-6,7/बारअनु0/इला0/2016-17, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।